



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं.- 07662-241655

ई-मेल- deanmcrewa@rediffmail.com

फैक्स नं.- 07662-251167

वेबसाइट-www.ssmcrewa.com

क्रमांक 29007/स्था./राज./एमसी/विज्ञप्ति/2022

रीवा, दिनांक 14.1.22

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55, भोपाल, दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश "स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018" के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अधीन सहायक प्राध्यापक, दन्त रोग विभाग के रिक्त पद की पूर्ति हेतु पात्र एवं इच्छुक चिकित्सकों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 03.01.2023 सायं 05:00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विषय/विभाग	सहायक प्राध्यापक				
		अना.	अपिव	अजजा	अजा	ई.डब्ल्यू.एस.
1.	दंत रोग	01	-	-	-	-
	कुल योग	01	-	-	-	-

अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव :- एम.डी.एस. की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज से संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/ट्यूटर के रूप में एक वर्ष का कार्यानुभव।

टीप :-

- विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेब साइट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध है।
- आवेदन शुल्क :- उपरोक्त के संबंध में रू. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (CEO & DEAN SSMC, REWA), श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- साक्षात्कार की तिथि चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की वेबसाइट पर पृथक से जारी की जावेगी।

(आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा द्वारा अनुमोदित।)

(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

one

**श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) में सीधी भर्ती द्वारा
सहायक प्राध्यापक, दंत रोग विभाग के पद की पूर्ति संबंधी आवश्यक विवरण**

1. पदनाम वेतनमान
सहायक प्राध्यापक 68900-205500, सांतवे वेतनमान का लेवल-11
- टीप :- समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. शैक्षणिक अर्हतायें :-
 - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क्र. 103, भाग-III, खण्ड 4, दिनांक 14 फरवरी, 2022 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 के अनुसार रहेंगी।
4. निरर्हतायें-
 - 4.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
 - 4.2 दुश्चरित्र होने पर।
 - 4.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - 4.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
 - 4.5 विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।
 - 4.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
 - 4.7 कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - 4.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
 - 4.9 स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संबंधित विषय की पी.जी. डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन (पी.जी.) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में आवेदक को म.प्र. मेडिकल काउंसिल में 03 माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में संबंधित चिकित्सा शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही के लिए कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र रहेगा।

क्रमशः पेज...02




6. गैर चिकित्सा स्नातक, एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित विषयों में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, परन्तु उनकी नियुक्ति पर विचार मेडिकल आवेदक (एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. डिग्रीधारी) के आवेदन न किए जाने की स्थिति में ही किया जाएगा। (एम.सी. आई. की जनरल बॉडी मीटिंग दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 के बिंदु क्रमांक 52 में लिये गए निर्णय अनुसार गैर चिकित्सा स्नातक की तीन वर्षीय मेडिकल एम.एस.सी. ही मान्य होगी।)
7. डी.एन.बी. डिग्रीधारी आवेदक – डी.एन.बी. पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे बिस्तरों की संख्या, फेकल्टी की मान्यता, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने पर ही मान्य होंगे अन्यथा कि स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
8. डी.एन.बी. डिग्रीधारी आवेदक – डी.एन.बी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् सीनियर रेसीडेंट के रूप में किये गये कार्य को ही मान्य किया जावेगा।
9. शासकीय/स्वाशासी संस्था में सेवारत आवेदक को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ-साथ साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सेवारत व्यक्ति, को आवेदित पद पर आवेदन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
10. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षक, जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 के तहत की हो, के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
12. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा चयनित पद पर उपस्थिति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी। चयनित पद पर तीन वर्ष की सेवा उपरांत यदि आवेदक किसी कारणवश त्याग पत्र देना चाहता है तो उसे एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
13. दिनांक 03.09.2015 के पश्चात् प्रकाशित किये गये ई-पब्लिकेशन स्वीकार/मान्य नहीं किये जायेंगे।
14. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2023 सायं 05:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जायेगी।
15. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज, जैसे:- अर्हता/अनुभव/शोध पत्र इत्यादि को ही मान्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।
16. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. आवेदन शुल्क :- उक्त पद हेतु रु. 1000/- का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (CEO & DEAN SSMC REWA), श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के नाम से देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। (आवेदन के साथ मूल ड्राफ्ट संलग्न करें।)
18. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) की वेबसाइट www.ssmcrewa.com पर उपलब्ध है।

क्रमशः पेज...03




महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो, जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।



(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)



सहायक प्राध्यापक, दन्त रोग विभाग के पद हेतु चयन के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे:-

1. डी.सी.आई. से मान्यता/अनुमत प्राप्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालय से बी.डी.एस. में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 25 अंक। (प्रति अतिरिक्त प्रयास 01 अंक घटाया जाएगा।)
2. डी.सी.आई. से मान्यता/अनुमत प्राप्त दन्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी.एस. डिग्री हेतु अधिकतम 35 अंक। (प्रति अतिरिक्त प्रयास 05 अंक घटाया जाएगा।)
3. संबंधित विषय में एन.एम.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक अनुभव के अतिरिक्त मान्यता/अनुमत प्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेज से सीनियर रेसीडेंट, रजिस्ट्रार अथवा ट्यूटर (पी.जी. उपरांत) के रूप में प्रतिवर्ष अनुभव हेतु 1 अंक, अधिकतम 05 अंक।
4. पी.जी. डिग्री के दौरान एवं उसके उपरांत एन.एम.सी./एम.सी.आई. मापदण्डानुसार प्रकाशित प्रति 01 रिसर्च पब्लिकेशन हेतु 01 अंक, अधिकतम 05 अंक।
5. साक्षात्कार हेतु 30 अंक।

(आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा अनुमोदित।)

Dr. Dewesh Sarswat
14/12/22

(डॉ. देवेश सारस्वत)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

em



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं.- 07662-241655
फैक्स नं.- 07662-251167

ई-मेल- deanmcrewa@rediffmail.com
वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

आवेदन का प्रारूप

विज्ञप्ति क्रमांक :, दिनांक :

आवेदित पद का नाम :

आवेदित विभाग का नाम :

आवेदित पद की श्रेणी : UR / OBC / ST / SC / EWS

नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण भरी जावे ।

Paste self-attested
passport size
photo

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता / पति का नाम	
3.	पुरुष / महिला	
4.	आवेदक की श्रेणी - अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूची जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग / ई.डब्ल्यू.एस.	
5.	वर्तमान पद, कार्यस्थल एवं संस्थान	
6.	वर्तमान संस्था जहाँ पर कार्यरत है, प्रायवेट अथवा शासकीय	
7.	वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)	
8.	स्थायी पता (पिन कोड सहित)	
9.	मोबाइल नं.	
10.	ईमेल आई.डी.	
11.	आधार न.	
12.	जन्मतिथि (हाई स्कूल की अंकसूची सलग्न करे)	
13.	दिनांक 01/01/2023 को आवेदक की आयु	
14.	आवेदक की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / अविवाहित)	
15.	विवाह का दिनांक	
16.	विवाह के समय आपकी उम्र	
17.	आपके जीवित संतानों की संख्या	
18.	यदि बच्चों की संख्या ≥ 3 है तो सबसे छोटे बच्चे का जन्म दिनांक	

19. शैक्षणिक योग्यता— स्नातक (Undergraduate) :- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt

Average % of Under-Graduation:-

No. of Additional Attempts :-

(नोट:- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।)

20. शैक्षणिक योग्यता— स्नात्कोत्तर (Postgraduate) :- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1							

21. शैक्षणिक योग्यताएं— (Super Speciality / others) :- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

S. No.	Name of Exam	Institute / University	Year of Passing	Subject	Marks obtained / Max. Marks	Percentage	Attempt
1							

Continue...03

22. मेडिकल कौंसिल का पंजीयन क्रमांक, नाम एवं दिनांक:-

शैक्षणिक योग्यताए	पंजीयन क्रमांक	कौंसिल का नाम	दिनांक

23. शैक्षणिक अनुभव:-

Post	Name of Institute	Permitted / Recognized by MCI / NMC (Yes / No)	From	To	Duration
Tutor / Demonstrator (Post PG)					
Senior Resident					
Assistant Professor					
Associate Professor					
Professor					

24. रिसर्च पब्लिकेशन:-

S. No.	Publication Title & Journal Name	Type of Article	Published during tenure of Professor / Assoc. Prof. / Asstt. Prof. / J.R. / S.R. / Tutor (Post PG)	Authorship & Month and Year of Publication	Indexed in (As per MCI Norms*)	Approval as per MCI / NMC Norms (Comment of Scrutiny Committee)	Approval as per MCI / NMC Norms* (Comment of Subject Expert)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

Continue...04

S. No.	Publication Title & Journal Name	Type of Article	Published during tenure of Professor / Assoc. Prof. / Asstt. Prof. / J.R. / S.R. / Tutor (Post PG)	Authorship & Month and Year of Publication	Indexed in (As per MCI Norms*)	Approval as per MCI / NMC Norms (Comment of Scrutiny Committee)	Approval as per MCI / NMC Norms* (Comment of Subject Expert)
1	2	3	4	5	6	7	8
3							
4							
5							
6							
7							

Note:- You can attach additional sheet in case of more publications

Continue...05

25. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

S. No.	Certificates / Documents	Yes / No
1.	High School Mark Sheet (Date of Birth)	
2.	Undergraduate Marksheet	
3.	Internship Completion Certificate	
4.	Attempt Certificate of Undergraduate issued by Dean / Competent Authority	
5.	Undergraduate Degree	
6.	Undergraduate Registration (State / National Council)	
7.	Postgraduate Notification / Marksheet / Passing Certificate	
8.	Attempt Certificate of Postgraduate issued by Dean / Competent Authority	
9.	Postgraduate Degree	
10.	Postgraduate Registration (State / National Council)	
11.	Super Speciality / Other Notification / Marksheet / Passing Certificate	
12.	Super Speciality / Other Attempt Certificate issued by Dean / Competent Authority	
13.	Super Speciality / Other Degree	
14.	Super Speciality / Other Registration (State / National Council)	
15.	Certificate of Participation – Basic Course Workshop in MET	
16.	Basic Course in Biomedical Research completion certificate	
17.	Teaching (Academic) Experience Certificate issued by Dean / competent authority	
18.	Copy of Publications (as per MCI / NMC guideline)	
19.	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
20.	Caste Certificate issued by Competent Authority	
21.	Aadhar Card	
22.	Others if any -	
23.	Others if any -	
24.	Others if any -	

स्थान —

दिनांक —

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा – पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है आवश्यक दस्तावेजों की कमी / जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है ।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर